न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/114 **दायरा दिनांक : 12.07.2023**

उनवान

1. मुस० गोमाबाई आयु 37 वर्ष पुत्री लाला पत्नी परसराम, जाति बंजारा
2. धनिया उर्फ कल्ली पुत्री लाला (मृतक)
   2/1 राजू आयु 16 वर्ष पुत्र हरदा
   2/2 कांति आयु 12 वर्ष पुत्री हरदा
   2/3 मंजू आयु 14 वर्ष पुत्री हरदा
   नाबालिगान जर्ये सरपरस्त वली नानी जमनाबाई पत्नी लाला
3. जमनाबाई आयु 68 वर्ष पत्नी लाला, जाति बंजारा निवासीगण मन्याखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. मुस० पारवती पुत्री घासी पत्नी कालूराम, जाति बंजारा
2. पेमा पुत्र बल्ला उर्फ कल्ला (मृतक)
   2/1 मन्नालाल पुत्र पेमा, जाति बंजारा
   2/2 कमल पुत्र पेमा, जाति बंजारा
   2/3 राजबाई पुत्री पेमा, जाति बंजारा, निवासीगण मन्याखेडी, तहसील छबडा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज.
4. उपपंजीयन अधिकारी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.07.2025**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 130/2011/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मदनाखेडी, तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 112 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 124 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 125 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 92 रकबा 2 बीघा 12

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा न. 95 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल 5 किता आराजी मवाजी 12 बीघा 2 बिस्वा अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत बिना अपीलांटगण को सुने व बिना साक्ष्य लिये निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम मदनखेडी पटवार क्षेत्र पाली तहसील छबडा की आराजी खसरा नं0 92 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं 95 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा के संदर्भ में रेस्पो० द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहां इस आशय का पेश किया गया कि उक्त भूमियां शामलाती खातेदारी की है जिसमे घासी पुत्र बल्ला उर्फ कल्ला का 1/2 हिस्सा व पेमा पुत्र बल्ला उर्फ कल्ला का 1/2 हिस्सा इंतकाल कमांक 142 खोला गया जो अपीलाटगण/प्रतिवादीगण के पिता व पति लाला द्वारा गलत रूप से रेवेन्यु अधिकारियों से मिलकर इंतकाल कमांक 158 ग्राम मदनाखेडी खुलवाया गया है जो निरस्त कराने के अधिकारी है इस प्रकार का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने के बाद अपीलांटगण/प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिसके आधार पर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके अनुसार खसरा नं० 112, 124, 125, 92, 95 कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा सम्वत 2012–32 में पेमा घासी के नाम थी तथा शामलाती परिवार में ही आराजी खसरा नं0 122 रकबा 15 बिस्वा व खसरा नं0 123 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थी जो तीनों भाइयो, घासी, पेमा, लाला के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी जो आपसी बंटवारे में खसरा नं0 122 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 123 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा घासी को प्राप्त हुई जो घासी के देहान्त के बाद रेस्पो०/वादिया पारवती उर्फ पारी के नाम दर्ज हुई जो उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2005 को विक्रय कर सुशीलाबाई पत्नी मांगीलाल, जाति लोधा, निवासी मदनाखेडी को बेचान कर दी गई इस प्रकार इस तथ्य को छिपाकर वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका आपसी सहमति से पंचो के सामने समझौता हो गया था तथा समझौते के अनुसार मुकदमा वापस लेना था इस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, ना उनकी तरफ से साक्ष्य पेश की गई, ना उनके बयान कराये गये तथा दिनांक 25.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने पर पालना के लिये हल्का पटवारी के पास पहुंचने पर अपीलांटगण को जानकारी हुई इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण की साक्ष्य

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लिये व बिना उन्हे विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही को नजरअंदाज करते हुये उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम मदनाखेडी की आराजी खसरा नं0 112, 124, 125 भी घासी को प्राप्त हुई जो घासी के देहान्त के बाद वादिया क्रम 1/रेस्पो० क्रम 1 द्वारा बेचान की जा चुकी है अब उसका उक्त आराजी में कोई हिस्सा निहित नहीं था इस प्रकार उक्त तथ्यों को छिपाकर गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की ना कोई जांच की गई, ना आराजी खसरा नं0 112, 124, 125 व खसरा नं0 122 व 123 की कोई पूर्व रिपोर्ट तहसील छबडा से प्राप्त की गई इस प्रकार गलत तथ्यों पर उक्त निर्णय व डिक्री पाारित करते हुये 1/2 हिस्सा खसरा नं0 92 व 95 में से अपीलांटगण का नाम हटाया जाकर रेस्पो०/वादिया क्रम 1 का नाम खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से बिना पूर्ण तथ्यों की जानकारी के व अपीलांटगण के द्वारा अपने जवाब दावा व प्रतिदावा के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन व बिना काउन्टर क्लेम का आदेश पारित किये निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 पारित की गई है जिसमें अपीलांटगण के प्रतिवाद पत्र (काउंटर क्लेम) के संदर्भ में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 प्रकरण संख्या 130/2011 बउनवान मुस. पारवती बनाम मुस0 गोमाबाई वगैरह निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

4. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.06.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
5. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।
6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.08.2016 में अंकित है कि वकुलाए फरीकेन उपस्थित है,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 22 नियम 4 व 151 बाबत मृतक प्रतिवादी नं. 2 के कायम मुकामान हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादी को दिलवायी, वास्ते प्रार्थना पत्र का जवाब नियत दिनांक 14.09.2016 को पेश हो। दिनांक 08.06.2017 को पाली कैम्प में आवाज लगवायी गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। तलबी नहीं की गई और जवाब और बहस का अवसर नहीं दिया गया। साक्ष्य वादी के बाद एक्स पार्टी कर दिया गया। जब एक्स पार्टी हुई उसके बाद भी दोनों अधिवक्ता समय चाहते हैं ये अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.08.2019 में अंकित है कि बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 09.09.2019 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.01.2021 में अंकित है कि बहस नहीं हो सकी समय चाहा है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09.02.2021 को पेश हो। दिनांक 25.08.2021 को फैसला में प्रतिवादी वकील की उपस्थिति अंकित है। अतः प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाये।

7. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर कथन किया है कि खसरा नं. 112 की 1.02 बीघा, खसरा नं. 124 की 0.04 बीघा, खसरा नं. 125 की 1.08 बीघा, खसरा नं. 92 की 2.12 बीघा, खसरा नं. 95 की 6.18 बीघा कुल 5 किता की 12.02 बीघा वाके माल मदनाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां में स्थित है जो पूर्व में वादी क्रम 2 एवं उसके भाई घासी के शामलाती खातेदारी में दर्ज आ रही थी। शामलाती खातेदार घासी जो कि वादिनी नं. 1 पारवती का पिता था, का देहांत लगभग 33 वर्षो पूर्व हो चुका है, जिसके वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थिया क्रम 1 एवं उसकी माता तुलसां होने के कारण तहसीलदार छबडा द्वारा मृतक घासी को फोती इंतकाल नम्बर 142 दिनांक 25.12.1978 को प्रार्थिया क्रम 1 पारवती एवं उसकी माता के नाम तस्दीक किया गया। तुलसां का भी देहांत हो गया है तथा खसरा नं. 112, 124, 125 का बेचान अन्य व्यक्तियों को किया जा चुका है। शेष भूमि कुल 9.10 बीघा वादनी क्रम 1 पारवती उसके पिता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

घासी एवं माता तुलसां की मृत्यु के पश्चात से नियमित रूप से बहेसियत मालिक एव खातेदार के मृतक घासी के हिस्सा 1/2 पर वादनी क्रम 2 पेमा काबिज है। फौती इंतकाल नं. 142 ग्राम मदनाखेडी के पश्चात प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी क्रम 3 के पति लाला ने प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार छबडा के रेवेन्यू अधिकारियों से साठ गाठ कर बगेर सूचना एवं अनुमति एक पक्षीय तौर पर वादनी क्रम 1 पारवती के नाबालिग होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अपने आपको मृतक घासी का वारिस बताते हुए मृतक घासी का पुनः फौती इंतकाल नं. 158 अपने पक्ष में तस्दीक करवाकर घासी का हिस्सा 1/2 को अपने नाम खातेदारी अर्थात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवा लिया जिसका उन्हें कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इतंकाल नं. 158 को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित कर खारिज फरमाया जावे। लाला की मृत्यु के पश्चात हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की खातेदारी को भी खारिज फरमाया जावे। ग्राम मदनाखेडी की कुल 2 किता कुल रकबा 9.10 बीघा के हिस्सा 1/2 पर वादनी क्रम 1 पारवती को खातेदार घोषित कर खातेदारी में दर्ज करवाने का आदेश तहसीलदार छबडा के नाम फरमाया जावे।

10. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि इंतकाल नं. 158 ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा खारिज किया जाता है। ग्राम मदनाखेडी की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 9.10 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 वादिया क्रम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगणों को जर्ये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलांदजी न तो स्वयं करे, न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। एवं दान रहन व बेचान आदि न करे। तहसीलदार तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

11. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोई सूचना नही दी गई ना ही उनकी तरफ से साक्ष्य पेश की गयी ना ही उनके बयान करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के सदर्भ में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपीलांटगण को विधिवत् साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाये।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम मदनाखेडी, तहसील छबडा सम्वत 2065 से 2068 प्रदर्श पी–1 के अनुसार खसरा नं. 92, 95 कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा आराजी पेमा पुत्र कल्ला हिस्सा 1/2 गोमा,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

धनिया, पुत्रियां लाला व जमना बेवा लाला हिस्सा 1/2 समभाग जाति बंजारा, साकिन देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी बन्दोबस्त ग्राम मदनाखेडी, तहसील छबडा, सम्वत 2012 से 2032 प्रदर्श पी–2 के अनुसार खसरा नं. 112, 124, 125, 92, 95 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा आराजी पेमा व घासी पिसरान कल्ला, कौम बंजारा, साकिन देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। नकल नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मदनाखेडी, तहसील छबडा प्रदर्श–पी–3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 112, 124, 125, 92 व 95 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा खातेदार घासी की मृत्यु के बाद घासी के 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 25.12.98 से बेवा तुलसा का नाम दर्ज हुआ। नकल नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मदनाखेडी, तहसील छबडा प्रदर्श–पी–4 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 158 से विवादित आराजी खसरा नं. 112, 124, 125, 92 व 95 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा पर खातेदार घासी का फोत होना दर्ज करते हुए उसे लाऔलाद बताते हुए भाई लाला के नाम खोला गया है।

13. नकल जमाबंदी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2032 के अनुसार विवादित आराजी पेमा व घासी पिसरान कल्ला के नाम दर्ज होना साबित है। खातेदार घासी की मृत्यु के बाद घासी बेवा तुलसा के नाम नामान्तरकरण संख्या 142 दर्ज होने पर नामान्तरकरण संख्या 158 से घासी को ला औलाद बताते हुए घासी के हिस्से की 1/2 आराजी का नामान्तरकरण भाई लाला के नाम दर्ज होना विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय न्यायालय प्रकिया की विधिवत पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा आर्डर 22 नियम 4 एवं 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नं. 2 के कायम मुकाम राजू, कान्ति व मन्जू को रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.06.2017 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली सीधे साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर देते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2017 नियत की गई। कायम मुकाम रिकार्ड पर लेने के आदेश के बाद संशोधित टाइटल पेश होना, कायम मुकाम को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से नहीं होती। इसी प्रकार दिनांक 06.12.2017 की आदेशिका में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात दिनांक 03.01.2017 की आदेशिका में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस हेतु समय चाहते है अंकित गया गया है। यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई थी तो इसे निरस्त किये बिना दिनांक 28.08.2019 को उभयपक्षकारान की बहस सुनने का अंकन आदेशिका पर करना प्रकियात्मक त्रुटि को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने में सी. पी. सी. में न्यायालय की कार्यवाही हेतु निर्धारित की गई विधिक प्रकिया की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पालना नही करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 खारिज होने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2021 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा नं. 12 व 13 में किये गये विवेचन के कम में विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित होवे।

15. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा